न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 02/2017 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
मोहम्मद साबिर पुत्र अजीम खां जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी खैरवा, तहसील पाली जिला पाली		1. फिरोज खॉ पुत्र अल्लादीन खॉ पठान जाति मुसलमान निवासी खैरवा, तहसील पाली जिला पाली 2. ग्राम पंचायत खैरवा पंचायत समिति पाली जिला पाली जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी :: 03/2017 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
मोहम्मद साबिर पुत्र अजीम खां जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी खैरवा, तहसील पाली जिला पाली		1. फिरोज खॉ पुत्र अल्लादीन खॉ पठान जाति मुसलमान निवासी खैरवा, तहसील पाली जिला पाली 2. ग्राम पंचायत खैरवा पंचायत समिति पाली जिला पाली जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री तरूण उपाध्याय
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता संख्या 1 की ओर से श्री मांगीलाल प्रजापत

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 18/3/19

प्रथम निगरानी प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खैरवा तहसील पाली द्वारा मिसल संख्या 94/2013–14 एवं प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.01.2014 की पालना में जारी पट्टा संख्या 2931 दिनांक 25.04.2014 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की गई है। द्वितीय निगरानी प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचांयत खैरवा तहसील पाली द्वारा मिसल संख्या 108/2013–14 एवं प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.08.2013 की पालना में जारी पट्टा संख्या 4289 दिनांक 17.06.2014 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दोनों ही निगरानी प्रार्थना पत्र एक ही भूखण्ड के जारी अलग–अलग विक्रय विलेख को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है, जिससे दोनों पत्रावलियों को क्लब की जाती है।

वकील अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा जैर निगरानी आराजी का पट्टा संख्या 4289 दिनांक 17.02.2014 को जारी करने के बाद उसी आराजी का पट्टा संख्या 2931 दिनांक 25.04.2014 जारी कर दिया गया। इस प्रकार एक ही आराजी के उसी समयान्तराल में मात्र दो माह से भी कम अवधि में दो मिसलें 108/2013–14 एवं दूसरी मिसल संख्या 94/2013–14 कायम कर एक ही सरपंच एक ही ग्राम सेवक द्वारा जारी किया गया है, जो विधी सम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है। जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 157 के तहत

जिला कलेक्टर, पाली

जारी किया गया। उक्त नियम के तहत पुश्तैनी मकानों के विनियमितिकरण का प्रावधान है, जबकि जैर निगरानी आराजी आज भी प्लॉट के रूप में है। उस पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया हुआ है। जिससे पूश्तैनी मकान का विनियमितीकरण नहीं किया गया है। इस प्रकार से जारी विक्रय विलेख न्यायोचित नहीं होने से खारिज योग्य है। दोनों पट्टों की मिसल तलब करने पर दोनों ही मिसलें ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने बाबत सचिव ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा अपने पत्रांक ग्रा.प./2017–18/स्पे. 1 दिनांक 3.11.2017 में समसंख्यक स्पे. 1 दिनांक 06.10.2017 में उल्लेखित किया है, जबकि जैर निगरानी संख्या 02/2017 में ग्राम सेवक एंव पदेन सचिव ग्राम पंचायत खैरवा के श्री आलोक शर्मा द्वारा मिसल संख्या 94/2013–14 दायरा दिनांक 20.09. 2013 एवं फैसला दिनांक 20.01.2014 की प्रमाणित प्रति जारी की हुई है। उसकी प्रति वकील प्रार्थी द्वारा निगरानी में पेश की गई है। जो एक विधि विरूद्ध कृत्य है। मिसल संख्या 94/2013–14 आलोक शर्मा ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्रा.प. खैरवा द्वारा जारी प्रमाणित प्रति अनुसार 20.09.2015 प्रथम आदेशिका के बाद द्वितीय एवं तृतीय आदेशिका में दिनांक अंकित नहीं है। प्रथम आदेशिका दिनांक 20.09.2013 एवं उसके बाद की दो आदेशिकाएं कम्प्यूटर से पूर्व में लिखी हुई है। जिसमें रिक्त स्थान भी पूरे नहीं भरे गए है। जिससे पट्टा निरस्त योग्य है। आपत्ती इश्तिहार जारी किया उसे किस दिनांक को, किस स्थान पर एवं किन मौतबिरानों के समक्ष किसके द्वारा चस्पा किया गया उसका उल्लेख नहीं है। बयानों में दिनांक नहीं है तथा गवाहों ने भूखण्ड होना उल्लेखित किया ह, पुश्तैनी होने बाबत उल्लेख नहीं किया है। मात्र कई वर्षो से कब्जा होना उल्लेखित है, जबकि पत्रावली संलग्न सरपंच, ग्राम पंचायत खैरवा के आदेशानुसार बनाई गई, संलग्न मौका रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति की फोटो प्रति जैर निगरानी भूखण्ड में समाज का एक कुआं होना बताया है तथा मौका रिपोर्ट में रेशमा पत्नी याकुब खां के भूखण्ड का रास्ता भी दर्शाया गया है तथा जैर निगरानी आराजी के उत्तर में अल्लादीन वगैरा का भूखण्ड आया हुआ, जिसके विक्रय विलेख संख्या 20 जो मिसल संख्या 34/07.01.1982 कायम कर जारी किया उसके दक्षिण में पठानों के निजी जातिगत बेरा (कुआं) स्थित होना बताया है, जबकि रेशमा पत्नी अयुब खां के प्लॉट का पट्टा संख्या 1 दिनांक 15. 05.1995 जारी किया हुआ है। उसके पूर्व दिशा में उक्त आराजी स्थित है, जिसमें जैर निगरानी आराजी को आम रास्ता की भूमि दर्शाया गया है तथा ईस्माईल खां एवं मो. साबिर को जारी पट्टा संख्या 58 पत्रावली संख्या 49/1998–99 के उत्तर में जैर निगरानी प्लॉट स्थित है। ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा जारी उक्त पट्टा संख्या 58 जो उस्मान गनि, मो. साबिर पुत्र अजिम खां पठान के नाम से जारी किया गया है। उसमें उत्तर दिशा में पड़ौस पिंजारों का कुआं पर जाने का रास्ता अंकित है, इन सभी से जैर निगरानी आराजी रास्ते की तथा कुआं होना स्पष्ट है। जिसके पट्टा ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा अप्रार्थी फिरोज खां के पक्ष में दो बार जारी कर दिए गए है, जो दोनों ही निरस्त योग्य है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कॉलम संख्या 4 से 7 रिक्त है। नक्शा बनाने बाबत आदेश नहीं किया गया है तथा दिनांक 20.09.2013 के प्रस्ताव में फिरोज खां द्वार प्रार्थना पत्र पट्टा हेतु पेश किया गया है। इसका उल्लेख नहीं है, मात्र लोगों के पुश्तैनी पट्टे बने हुए नहीं है, उनके आवेदन लेकर पट्टा हेतु कार्यवाही किए जाने का उल्लेख है, जो विधी सम्मत नहीं है। आदेशिका दिनांक 20.10.2013 के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया है तथा अन्तिम आदेशिका दिनांक 20.12.2013 के संबंध में भी इस दिनांक को कोई भी प्रस्ताव नहीं लिया गया, प्रस्ताव 21.12.2013 को लिया गया, जिसमें जैर निगरानी पट्टा बाबत किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है।

जिला कलेक्टर, पाली

उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा संख्या 2931 दिनांक 25.04.2014 जो मिसल संख्या 94/2013–14 में पारित आदेशनुसार जारी किया गया तथा 4289/17.06.2014 जो मिसल संख्या 108/2013–14 में पारित आदेशानुसार जारी किए उक्त दोनों विक्रय विलेख निरस्त फरमावें। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने तर्को की ताईद में न्यायिक दृष्टांत – 2017(3) WLN (Raj.) 379, S.B. Civil Writ Petition No. 2398/2017 Bhagwati/The Additional Dist. Coll., D.B. Spl. Apl. Writ N0. 36/2017 Smt. Kamla Devi/The State of Raj., Issach Khan/State of Raj. S.B. Civil Writ pt. No. 9128/2017, S.B. Civil Writ Petition No. 194/2017, 2013(2) WLN 272(Raj.) and 2012(3) DNJ 1399. भी प्रस्तुत किये।

वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि मो. साबिर व्यथित पक्षकार नहीं है। इसलिए प्रस्तुत दोनों निगरानी खारिज फरमाई जावें। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि में जारी किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत को विक्रय विलेख जारी किए जाने का कानूनी अधिकार है। जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा पुश्तैनी है ताकि उक्त कब्जे के आधार पर ही ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि का पट्टा जारी किया गया है, जो मिसल कायम कर जारी किया गया। जिसमें से एक मिसल की प्रमाणित प्रति एक निगरानी में संलग्न है, अन्य रिकार्ड ग्राम पंचायत में नहीं है अथवा संधारण में त्रुटि है तो इसका अप्रार्थी दोषी नहीं है। जिसकी सजा अप्रार्थी को दिया जाना न्यायोचित नहीं होने प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जावें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली एंव ग्राम पंचायत खैरवा से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा अपने पत्रों में सूचित किया है कि जैर निगरानी विक्रय विलेखों से संबंधित पत्रावलियां ग्राम पंचायत में नहीं है, जबकि मिसल संख्या 94/2013–14 की प्रति ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा प्रदत प्रमाणित प्रति निगरानी संख्या 02/2017 में वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उसका भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर निगरानी पट्टो से संबन्धित मिसल ग्राम पंचायत में नहीं होने बाबत ग्राम पंचायत ने अपने पत्र दिनांक 06.10.2017 एवं 3.11.2017 में उल्लेखित किया है। ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत खैरवा द्वार प्रदत मिसल संख्या 94/2013–14 की प्रमाणित प्रति निगरानी संख्या 02/2017 में है तथा फोटो प्रति अन्य निगरानी संख्या 03/2017 में वकील प्रार्थी द्वारा पेश की, उसका अवलोकन किया गया। मूल मिसल के अभाव में प्रमाणित प्रति किस आधार पर दी गई है तथा मिसल गुम होने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्ध अनुसंधान व आपराधिक कार्यावाही की जाने हेतु संबन्धित थाने में विकास अधिकारी, पंचायत समिति पाली को प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के आदेश दिए जाते है। पट्टा संख्या 2931 दिनांक 25.04.2014 को जारी किया तथा उसके पश्चात पट्टा संख्या 4289 दिनांक 17.06.2014 को जारी किया गया। ऐसी स्थिति में पश्चातवृती पट्टा स्वतः ही खरिज योग्य है। इससे संबन्धित मिसल भी कायम नहीं की गई है तथा प्रथम पट्टा संख्या 2931 दिनांक 25.04.2014 से संबंधित सभी उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर समीक्षा की गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रस्तुत सभी दृष्टांत इस प्रकरण में चस्पा होते है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जैर निगरानी आराजी के अड़ौस–पड़ौस की भूमियों के जारी पट्टों की फोटो प्रतियां भी पेश की उनसे यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी आराजी अप्रार्थी की पुश्तैनी कब्जा सुदा भूमि नहीं है, उक्त भूमि में पठानों का जातिगत बेरा (कुआं) है तथा आसपास पड़त रास्ते की भूमियां भी है। इस प्रकार जैर निगरानी आराजी रिक्त पड़ी है तथा भूखण्ड है। जैर निगरानी दोनों ही पट्टे राजस्थान पंचायत

जिला कलेक्टर, पाली

राज नियम 1994 के नियम 157 के तहत जारी किए गए है, जो पुश्तैनी भूमि पर बने मकान का विनियमितीकरण के लिए जारी किए जाते है। जैर निगरानी आराजी न तो पुश्तैनी साबित है, न उस पर पुराना मकान बना है। जिसे 200/– रूपये में विनियमितीकरण किया गया हो। ऐसी स्थिति में जैर निगरानी दोनों पट्टे निरस्त योग्य है तथा एक ही आराजी के एक ही समयान्तराल में एक ही व्यक्ति के नाम दो पट्टे पुश्तैनी आधार पर जारी किए गए है, जो विधी विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। प्रार्थी फिरोज खां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कॉलम संख्या 4, 5, 6 व 7 रिक्त है। प्रथम, द्वितीय एंव तृतीय आदेशिकाओं में सरपंच के एक ही हस्ताक्षर है, आदेशिकाओं के संबंध में प्रस्ताव नहीं लिए हुए है। उनमें कहीं भी किसी भी प्रस्ताव में फिरोज खां के नाम विक्रय विलेख जारी करने का उल्लेख नहीं है। जैर निगरानी आराजी का जो नक्शा बनाया उसमें नक्शानवीस के हस्ताक्षर नहीं है। भूमि के पहचान चिन्ह अंकित नहीं है। तीन वार्ड पंचों द्वारा मौका निरीक्षण करने हेतु नामित करने का प्रस्ताव नहीं लिया गया है। जो मौका रिपोर्ट की प्रति वार्ड पंचो द्वारा बनाई गई है, उसमें दिनांक अंकित नहीं है, वार्ड पंचों द्वारा बनाई गई निरीक्षण रिपोर्ट में आबादी भूमि के विक्रय संबंधी मौका देखने का उल्लेख है, जबकि जैर निगरानी आराजी विक्रय नहीं कर पुश्तैनी मकान का विनियमितीकरण अन्तर्गत नियम 157 राजस्थान पंचायत राज नियम 1994 के तहत किया गया है जो विधी सम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है। आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस किस दिनांक को, किस स्थान पर तथा किन मौतबिरानों के रूबरू चस्पा किया गया, नोटिस पर कहीं उल्लेख नहीं है। जिन व्यक्तियों के बयान लिए गए है, उन पर दिनांक अंकित नहीं है। गवाहों की उम्र दर्ज नहीं है तथा न ही गवाहों ने जैर निगरानी आराजी को पुश्तैनी होना बताया है। मात्र कई वर्षो से कब्जा होना बताया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा जारी दोनों विक्रय विलेखों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाकर ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा पारित प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 20.08.2013 एवं उसकी पालना में मिसल संख्या 108/2013–14 में पारित आदेशानुसार जारी विक्रय विलेख संख्या 4289 दिनांक 17.06.2014 तथा प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 20.01.2014 एवं उसकी पालना में मिसल संख्या 94/2013–14 में पारित आदेशानुसार जारी विक्रय विलेख संख्या 2931 दिनांक 25.04.2014 को निरस्त किए जाते है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी, पाली को तथा ग्राम पंचायत खैरवा को प्राप्त रेकर्ड के साथ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18/3/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली